

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला -अलवर

किस्म मुकदमा जीएन बनाम शुभाग्र देवी सन् 1/184/17

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|-----------------------------------|---|
|-------------|-----------------------------------|---|

9-2-18
 वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
 प्रिजेंट है। पेश किया
 नकल दिलाई गई। वास्तु... पत्रावल
 दिनांक 13-4-18 को पेश हो।

11-5-18
 आप प्रशिक्षण "याद काफे
 डार 2018" में भाग लेने का
 पेश हुआ। वादी अतुल प्रशिक्षण का
 अनाधिकारिक निष्पत्ती। नौके फट ही
 पठ हो के विवादित कावली की
 रिपोर्ट की गई। अनाधिकारिक रिपोर्ट
 पठ हो के विवादित कावली (कानून
 44 एनका 0.16) में नौके फट काफे
 कार्य में उप नौके में नही का रहे
 कावलीप मकान बने हुए है।
 ऐसी स्थिति में वादी कावली
 योग्य है वादी कावली निष्पत्ती
 प्रशिक्षण में नौके फट ही
 डाकिल उपतत है।


 अज अदालत अधिकारी
 अलवर